

ક્રમાંક 116

ગોરખપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ દ્વારા સંચાલિત

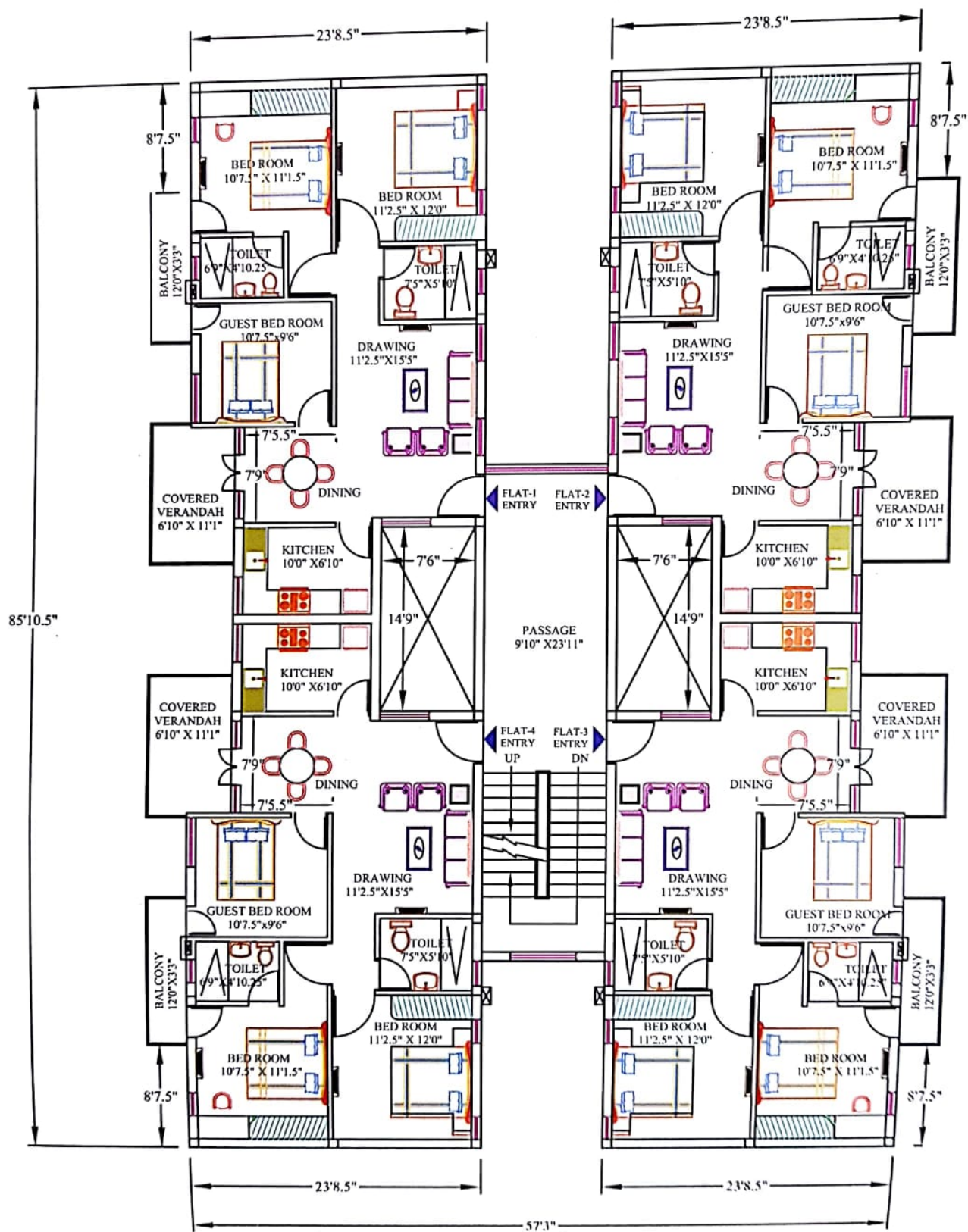
ઝોનિંગ ઇન્ધર્એવ પ્લેન-I

પંક્તીકરણ પ્રારમ્ભ તારીખ : 16-03-2015

પંક્તીકરણ સમાપ્તિ તારીખ 31-03-2015



ગોરખપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ, ગોરખપુર



MIG (3 BHK)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित लोहिया इन्क्लेव फेज-I में एम0आई0 जी0 श्रेणी के भवन के आवंटन हेतु।

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि- 16/03/2015

पंजीकरण समाप्ति तिथि- 31/03/2015

विशेष आकर्षण :

1. गोरखपुर देवरिया बाईपास रोड पर 45 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित।
2. नैसर्गिक झील रामगढ़ ताल के समुख।
3. स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त एवं शान्त वातावरण।

उपलब्ध भवनों का विवरण तथा भुगतान प्रक्रिया :-

क्र. सं0	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	बालकनी सहित आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमानित मूल्य (प्रभावी सर्वेस टैक्स अतिरिक्त देय होगा)	पंजीकरण धनराशि		आवंटन धनराशि 25 प्रतिशत	अवशेष धनराशि			अवशेष धनराशि 10 वर्षों में 15% ब्याज सहित मासिक किश्तों	
					सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत	आरक्षित वर्ग 05 प्रतिशत		सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग	आरक्षित वर्ग
1-	एम0आई0जी0 3 बी0एच0के0 (स्टिन्ट+3)	492	104.39 एक भवन	28,59,000/-	2,85,900/-	1,42,950/-	7,14,750/-	18,58,350/-	20,01,300/-	29,976/-	32,281/-	

नोट : गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत "वसुन्धरा इन्क्लेव" आवासीय योजना में पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक 3-3-2015 को सम्पन्न लाटरी में असफल आवेदक उपरोक्त योजना के अन्तर्गत भवन प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण की अवशेष धनराशि उपरोक्त तिथि के अन्दर प्राधिकरण निधि में जमा करने के पश्चात प्राधिकरण कार्यालय से निशुल्क सहमति का प्रारूप प्राप्त कर उक्त प्रारूप के साथ सम्पत्ति अनुभाग में जमा सुनिश्चित करें। सहमति पत्र का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित
लोहिया इन्वलेव फेज-1 आवासीय योजना में फ्लैट के आवंटन हेतु

आवेदन - पत्र

क्र०स०.....1.1.6.....

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में).....

आवेदक के पति/पत्नी/ का नाम

आवेदक के पिता का नाम

पत्राचार का पता

फोन/मोबाइल नम्बर.....

स्थायी पता

आवेदक के बैंक का नाम व शाखा.....

आवेदक का बैंक का खाता संख्या.....

व IFSC CODE.....

वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवेदक की कुल आय (जिसमें आवेदक की पत्नी/पति/अन्य व्यस्क व्यक्तियों की आय शामिल हो).....

आवंटन में आरक्षण मांगने का कारण (यदि कोई हो तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....

आवंटित भवन की श्रेणी.....

आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशि रू०.....

चालान संख्या.....

आवेदक द्वारा आनलाइन पेमेंट अथवा E-Transfer/RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा की गयी है तो निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाये :-

जमाकर्ता बैंक का नाम.....

खाता संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का फोटो

आवेदक के पति/पत्नी का फोटो

बैंक सम्बन्धी दी गयी सूचना अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने पर विलम्ब से भुगतान का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या.....

116

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित

लोहिया इन्वलेव फेज-1 में आवासीय योजना में फ्लैटों के आवंटन हेतु

आवेदक का नाम.....पिता/पति का नाम.....

भवन की श्रेणी.....औसत क्षेत्रफल वर्ग मीटर

जमा धनराशि.....चालान नम्बर.....दिनांक.....

(शपथ पत्र का प्राकृत्य)

(पंजीकरण धनरशि जमा करने के पश्चात् ही इस प्राकृत्य पर रू० 10.00 के स्टैम्प पेपर पर जोटरी से फोटो सहित सत्यापित कटाकट आवेदन पत्र के साथ दें)

समक्ष, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम.....

तथा व्यवसाय का विवरण.....

आयु..... पूर्ण पता.....

मैं..... शपथपूर्वक निम्नलिखित वधान करता/करती हूँ।

1. मैंने **लौहिया इन्वलेव फेज-1** आवासीय योजना में प्रस्तावित प्लैट के आवंटन हेतु आवंटन तथा तत्संबन्धित भूमि, फ्रीहोल्ड के रूप में अधिन धनरशि रू० जमा दिनांक..... के तारतम्य में यह शपथनामा प्रेषित कर रही / रहा हूँ।
2. यह कि मैं बालिन हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना-पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा / रही हूँ और इसमें किसी प्रकार की बेनामी अधिकार नहीं है। मैं यह शपथ सहित करता / करती हूँ कि मेरे अथवा मेरे पति / पत्नी व नाबालिन बच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत कोई भी प्लैट नहीं है, और न ही मैंने / मेरी पत्नी, मेरे पति या नाबालिन बच्चों में से किसी ने प्लैट के लिए अतिरिक्त प्रार्थना-पत्र भी दिया है।

मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा **लौहिया इन्वलेव फेज-1** आवासीय योजना में प्लैट देने की सभी शर्तें व नियम मान्य है।

5. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक आवासीय प्लैट नहीं है। और न ही मैं अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेगे।

6. मैं यह स्वीकार करता / करती हूँ कि प्लैट का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालात में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और भवन के सम्पत्ति कर्तों तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूँगा। जब तक मैं प्लैट के सम्पत्ति कर्तों तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूँगा। जब तक मैं प्लैट के सम्पत्ति कर्तों व कर्तों धन का पूर्ण भुगतान न कर हूँ, मैं उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा / करती रहूँगी।

7. यह कि मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि जब तक प्लैट की समस्त किश्तों एवं कर्तों का पूर्ण भुगतान कर नियमानुसार विक्रय विलेख न करा तब तक मुझे प्लैट बेचने व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न आवासीय प्लैट में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष की आज्ञा के बिना मैं करूँगा / करूँगी, और न ही भवन के आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा / लाऊँगी।

8. यदि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित उक्त प्लैट का कब्जा निर्धारित समय के अन्तर्गत नांगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा आवासीय प्लैट की रजिस्ट्री न कराऊ तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मेरा / हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर ले, तथा आवासीय भवन का आवंटन रद्द कर दे, एवं उस प्लैट पर पुनः कब्जा कर ले।

9. ऊपर मैंने / हमने जो कुछ कहा वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है, और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण / आवंटन / रजिस्ट्रेशन एग्जीनेन्ट रद्द कर दे, पुनः कब्जा वापस कर ले, और इस सम्बन्ध में मेरे / हमारे द्वारा जमा धन को जब्त कर ले, और मेरे / हमारे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करे, उसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति न होगी।

स्थान

दिनांक

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

योजना की विशिष्टियाँ

- 1) देवरिया बाईपास पर 45 मीटर चौड़ी महायोजना मार्ग पर स्थित।
- 2) नैसर्गिक झील रामगढ़ ताल के सममुख स्थित।
- 3) तीन बेडरूम, एक बालकनी, कवर्ड बरामदा किचेन, ड्राइंग रूम, डायनिंग रूम
- 4) दो बाथरूम (एक बेडरूम से अटैच्ड)
- 5) निःशुल्क कवर्ड स्टिल्ट पार्किंग।
- 6) प्रत्येक आठ ब्लॉक के मध्य एक पार्क
- 7) रोजमर्रा उपयोग हेतु छोटी दुकान।
- 8) सीवरयुक्त कालोनी।

भवन की विशिष्टियाँ

- 1) सेरेमिक टाइल्स सभी कमरों में ड्राइंग एवं डाइनिंग आदि में।
- 2) किचेन टाप सिंक सहित।
- 3) आई0एस0आई0 मार्क विद्युत फिटिंग।
- 4) आई0एस0आई0 मार्क सेनेटरी फिटिंग।
- 5) एक टायलेट इण्डियन एवं एक टायलेट यूरोपियन।
- 6) पी0ओ0पी0 वर्क आन सीलिंग एवं बाल पुट्टी सहित आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर पेंटिंग।
- 7) उच्च क्वालिटी के वूडेन वर्क।